<u>न्यायालयः श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य, अतिरिक्त मुख्य</u> <u>न्यायिक मजिस्ट्रेट, अंजड्, जिला बड्वानी (म०प्र०)</u>

<u>आपराधिक प्रकरण क्रमांक 342 / 2014</u> संस्थन दिनांक 16.05.2014

म0प्र0 राज्य द्वारा आरक्षी केन्द्र अंजड़, जिला—बड़वानी म0प्र0

----अभियोगी

विरुद्व

भाया उर्फ विजय पिता रामसिंह, आयु 22 वर्ष, निवासी—बैड़ीपुरा, ग्राम हरिबड़, तहसील अंजड़, जिला बड़वानी म.प्र.

————अभियुक्त

(आज दिनांक 30.03.2015 को घोषित)

- 1. पुलिस थाना अंजड़ द्वारा अपराध क्रमांक 122 / 2014 अंतर्गत 354, 354 (क) भा.द.सं. में दिनांक 16.05.2014 को प्रस्तुत अभियोग पत्र के आधार पर अभियुक्त भाया उर्फ विजय के विरुद्ध दिनांक 04.05.2014 को समय रात्रि 12:30 बजे, फरियादिया के घर के सामने आंगन में ग्राम हरिबड़ बैड़ीपुरा में फरियादिया जो कि एक स्त्री है, कि लज्जा भंग करने के आशय से उसका बायां हाथ बुरी नियत से पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करने के संबंध में धारा 354 भा.द.सं. के अंतर्गत अपराध विचारणीय है।
- 2. प्रकरण में उल्लेखनीय महत्वपूर्ण स्वीकृत तथ्य यह है कि साक्षीगण अभियुक्त को जानते है तथा पुलिस ने अभियुक्त को गिरफ्तार किया था।
- 3. अभियोजन का प्रकरण संक्षिप्त में इस प्रकार है कि दिनांक 04.05.2014 को रात्रि 12:30 बजे फरियादिया एवं उसकी पुत्री वंदना घर के बाहर आंगन में खटिया पर सोई हुई थी। खटिया पर फरियादिया अकेली सोई हुई थी, तभी मोहल्ले का भाया पिता रामिसंग उसकी खात पर बुरी नियत से बैठ गया व उसका बायां हाथ पकड़ लिया, तब फरियादिया जोर से चिल्लाई कि वह यहाँ क्यों आया, और उसे फरियादिया ने जाने के लिए कहा और अपने पिता से मार खिलवाने हेतू कहा, तभी आस—पडोस के मोहन, अनिल आदि उठ

गये तभी अभियुक्त भाया वहाँ से भाग गया। फरियादिया ने घटना उसके पिता को बताई। पुलिस ने फरियादिया द्वारा दी गई घटना की सूचना के आधार पर अभियुक्त के विरूद्ध अपराध कमांक 122/2014 अंतर्गत धारा 354, 354 (क) भा.द.स. में प्रकरण पंजीबद्ध कर प्रदर्शपी 1 की प्रथम सूचना प्रतिवेदन लेखबद्ध की तथा अभियुक्त के विरूद्ध संपूर्ण अनुसंधान उपरांत प्रश्नगत अभियोग—पत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया

- 4. अभियोगपत्र के आधार पर अभियुक्त के विरूद्व धारा 354 भा.द.सं. के अंतर्गत आरोप पत्र निर्मित कर अभियुक्त को पढ़कर सुनाए एवं समझाए जाने पर अभियुक्त ने अपराध अस्वीकार किया। धारा 313 दं.प्र.सं. के परीक्षण में अभियुक्त ने स्वयं का निर्दोष होना व्यक्त किया है तथा बचाव में कोई भी साक्ष्य नहीं देना व्यक्त किया।
- प्रकरण में विचारणीय प्रश्न यह है कि —

क्या अभियुक्त ने दिनांक 04.05.2014 को समय रात्रि 12:30 बजे, फरियादिया के घर के सामने आंगन में ग्राम हरिबड़ बैड़ीपुरा में फरियादिया जो कि एक स्त्री है, कि लज्जा भंग करने के आशय से उसका बायां हाथ बुरी नियत से पकड़कर उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग किया ?

यदि हाँ, तो उचित दण्डाज्ञा ?

6. अभियोजन की ओर से अपने पक्ष समर्थन में फरियादिया (अ.सा.1), अनिल (अ.सा.2), वन्दना (अ.सा.3) एवं अब्दुल गफ्फार खान (अ.सा.4) के कथन कराये गये हैं, जबिक अभियुक्त की ओर से अपनी प्रतिरक्षा में किसी साक्षी के कथन नहीं कराये गये हैं।

साक्ष्य विवेचन एवं निष्कर्ष के आधार उक्त विचारीय प्रश्न के संबंध में

7. उक्त विचारणाय प्रश्न के संबंध में फरियादिया अ.सा.1 का कथन है कि लगभग 6 माह पूर्व रात्रि 10—11 बजे वह अपनी पुत्री के साथ खाट पर घर के आंगन में सोई हुई थी। रात्रि में कोई अज्ञात व्यक्ति उसके पास आया और उसका हाथ पकड़ लिया। उसके चिल्लाने पर मोहन एवं अनिल उठ गये। उसने घटना की रिपोर्ट प्रदर्शपी 1 की थाना अंजड़ पर लिखाई थी, लेकिन साक्षी ने उक्त रिपोर्ट में अभियुक्त के घर में आने और उसका हाथ पकड़ने की बात लिखाने से स्पष्ट इंकार किया है। इस साक्षी को पक्षविरोधी घोषित कर सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त उसकी खाट पर बुरी नियत से बैठ गया था और उसका हाथ पकड़ लिया था। साक्षी ने

प्रदर्शपी 1 की रिपोट एवं प्रदर्शपी 3 के पुलिस कथन में अभियुक्त द्वारा घटना कारित करने से लिखाने से स्पष्ट इंकार किया है। साक्षी ने स्वीकार किया कि उसका अभियुक्त से राजीनामा हो गया है, लेकिन इस सुझाव से इंकार किया कि राजीनामा हो जाने से वह असत्य कर रही है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने स्वीकार किया कि उसके साथ घटना हुई उस समय अंधेरा था। साक्षी ने स्वीकार किया कि शंका के आधार पर थाने पर रिपोर्ट लिखाई थी, लेकिन रिपोर्ट में अभियुक्त का नाम नहीं बताया था। संभवतः उक्त साक्षी अभियुक्त से राजीनामा होने के कारण उसके विरुद्ध कथन नहीं कर रही है।

- 8. अनिल अ.सा.2, वंदना अ.सा. 3 ने भी अभियुक्त एवं फरियादी को पहचानने के अतिरिक्त अन्य कोई कथन अभियोजन के पक्ष में नहीं किये है तथा अभियोजन की ओर से साक्षियों से सूचक प्रश्न पूछने पर साक्षियों ने इस सुझाव से इंकार किया कि अभियुक्त ने फरियादिया के निवास स्थान में प्रवेश कर बुरी नियत से उसका हाथ पकड़ लिया था। यहाँ तक कि साक्षियों ने पुलिस को प्रदर्शपी 4 और 5 का कथन देने से भी इंकार किया है।
- 9. उपनिरीक्षक अब्दुल गफ्फार खान अ.सा. 4 ने दिनांक 04.05.2014 को थाना अंजड़ में फरियारदी की रिपोर्ट के आधार पर अपराध क्रमांक 122/2014 प्रदर्शपी 1 का दर्ज करने, फरियादी को मेडिकल परीक्षण हेतु भेजने एवं नक्शा मौका पंचनामा प्रदर्शपी 2 का बनाने एवं फरियादिया एवं साक्षियों के कथन लेखबद्ध करने तथा अभियुक्त को गिरफ्तार करने के संबंध में कथन किये है। बचाव पक्ष की ओर से किये गये प्रतिपरीक्षण में साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि फरियादिया ने उसे अभियुक्त का नाम रिपोर्ट में नहीं बताया था। साक्षी ने इस सुझाव से इंकार किया कि साक्षीगण ने उसे कोई कथन नहीं दिये थे अथवा उसने अभियुक्त के विरुद्ध असत्य प्रथम सूचना रिपोर्ट मन से लेखबद्ध कर ली।
- 10. प्रकरण में राजीनामा हो जाने के कारण किसी अन्य साक्षियों के कथन अभियोजन की ओर से नहीं कराये गये है। ऐसी स्थिति में जबिक प्रकरण की फरियादिया स्वयं ने अभियुक्त से राजीनामा होने के कारण अभियुक्त द्वारा उसके घर में प्रवेश कर उसकी लज्जा का अनादर करने के संबंध में कोई कथन नहीं किये है तो अभियुक्त के विरूद्ध भा.द.स. की धारा 354 का अपराध प्रमाणित नहीं होता है और उसे उक्त अपराध या अन्य किसी अपराध में दोषसिद्ध नहीं उहराया जा सकता है और उसके विरूद्ध कोई निष्कर्ष भी अभिलिखित नहीं किया जा सकता है।

- 11. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचन के आलोक में अभियुक्त भाया उर्फ विजय के विरूद्व निर्णय के चरण क्रमांक 5 में उल्लेखित विचारणीय प्रश्न संदेह से परे प्रमाणित नही पाया जाता है। अतएव अभियुक्त को संदेह का लाभ देते हुए धारा 354 भा.द.स. के अपराध से दोषमुक्त किया जाकर उनके जमानत मुचलके भारमुक्त किये जाते है।
- 12. प्रकरण में जप्तशुदा चुड़ी के 10 टुकड़े मूल्यहीन होने से अपील अवधि पश्चात् नष्ट किये।

निर्णय खुले न्यायालय में दिनांकित एवं हस्ताक्षरित कर घोषित किया गया । मेरे उद्बोधन पर टंकित

(श्रीमती वन्दना राज पाण्ड्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी (श्रीमती वन्दना राज पाण्डे्य) अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट अंजड़, जिला बडवानी